

राजस्थान –सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
 क्रमांक:ई-11 / नर्सिंग / नर्स-2 / नियमितिकरण / जोधपुर / जे-552 / 2019 / दिनांक:-

संशोधन- आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1123 दिनांक 02.08.18 द्वारा जिला जोधपुर के अधीन कार्यरत निम्न नर्स-2 का दो वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमितिकरण किया गया था, में कॉलम संख्या 05 में अंकितानुसार संशोधन किया जाता है। शेष यथावत।

क्र०स०	निदेशालय का आदेश क्रमांक व दिनांक	उक्त आदेश में क्रम संख्या	आदेश में अंकित नाम / जन्मतिथि / परीवीक्षापूर्ण करने की दिनांक	संशोधित नाम / जन्मतिथि / परीवीक्षापूर्ण करने की दिनांक
1	2	3	4	5
1	1123 / 02.08.18	32	सुनीता कुमारी 16.02.16(कार्यग्रहण तिथि) 15.02.18(परि.पूर्ण दिनांक) 16.02.18(नियत वेतन दिनांक)	सुनीता कुमारी 16.02.16(कार्यग्रहण तिथि) 09.03.18(परि.पूर्ण दिनांक) 10.03.18(नियत वेतन दिनांक)
2	1123 / 02.08.18	36	योगेन्द्र पुरी (नाम)	योगेन्द्र पुरी गोरवाभी (नाम)

क्रमांक 01 पर अंकित कार्मिका के परीवीक्षाकाल में 52 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने के कारण 22 दिवस की अभिवृद्धि की गई है।

—sd—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:ई-11 / नर्सिंग / नर्स-2 / रथायीकरण / जोधपुर / जे-552 / 2019 / 145 दिनांक:- 1-02-19
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोधपुर।
2. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को देकर लेख है कि ऐसी त्रुटि किस कारण से हुई, उक्त सम्वन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए निदेशालय को अवगत करावे।
4. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रगारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।